न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 225/2011/223 आर टी ए

1. साहबराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. हंसराज पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. रामजीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. गोरूराम पुत्र पेमाराम तथाकथित खोलायत पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2011 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0सं0 46/2001 अनवानी गौरूराम बनाम साहबराम आदि

उपस्थित :–

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–15.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया कि स्व. बेगाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी खोडा था जिसकी पत्नि का नाम हुकमा था जिसके कोई औलाद नही थी इस कारण दिनांक 16.10.63 को वादी गौरूराम को गोद ले लिया व बाद मे दिनांक 25.08.83 को खोलानामा उपपंजीयक नोहर मे पंजीकृत करवा दिया एवं दिनांक 04.12.90 को स्व. बेगाराम ने सम्पूर्ण भूमि की वसीयत भी गौरूराम के पक्ष मे तहरीर करने का कथन किया। वादी ने वाद मे गौरूराम के नाम की भूमि चक 1 डीडी मे 6.200 है0 व चक 3 सीएलडी मे 14.14 बीघा व चक 1 केएचडी मे 1.771 है0 व चक 109 आरडी मे 4.984 है0 भूमि का स्वयं बतौर दत्तक पुत्र व वसीयत दिनांक 04.12.90 के आधार पर खातेदार घोषित करने का अनुतोष व अपीलांट/प्रतिवादी के पक्ष मे स्व. बेगाराम द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 04.12.98 को शून्य व प्रभावहीन होने का अनुतोष चाहा।
2. विचारण न्यायालय मे अपीलांटस/प्रतिवादीगण सं. 1ता 4 ने अपना जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत करके कथन किया कि बेगाराम ने अपने जीवनकाल मे अपनी पत्नि की सहमति से दिनांक 16.10.63 को व अन्य दिनांक को प्रत्यर्थी सं. 1 गौरूराम को गोद नही लिया है। बेगाराम ने वादग्रस्त कुल 67.08 बीघा भूमि का एवं अन्य चल व अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 04.12.98 को अपीलांटस के पक्ष मे निष्पादन करवा दी एवं जिसका प्रमाणीकरण नोटेरी पब्लिक से करवाया होना बताया है। वादी ने वाद मे अपने पक्ष मे

वसीयत दिनांक 04.12.90 को होना बताया है जबकि उक्त सम्पूर्ण भूमि की वसीयत अपीलांटस के पक्ष मे दिनांक 04.12.98 को निष्पादित की थी। जिसके एवज मे वसीयत दिनांक 04.12.90 व पंजीयन दिनांक 17.12.90 स्वतः ही शून्य दस्तावेज माना जाता है। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाबदावा मय प्रतिदावा के आधार पर चार तनकीयात कायम की व दोनो पक्षो की दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य लेकर स्व. बेगाराम का वारिस दत्तक पुत्र गौरूराम होना मानते हुए वादी को सम्पूर्ण भूमि का हकदार घोषित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस में तनकीवार कथन किया कि तनकी सं. 1 आया वादी चक 1 केडीडी, 3 डीएलडी, 1 केएचडी व 109 आरडी की 67.08 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी रेस्पो0 पर था व तनकी सं. 4 आया वसीयत दिनांक 04.12.98 बहक प्रतिवादी रेस्पो0 सं. 1 ता 4 फर्जी व शून्य एवं वादी हको के खिलाफ प्रभावहीन है। इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी रेस्पो0 पर था। तनकी सं. 5 आया वाद भूमि के प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर के मुश्तैहक खातेदार काश्तकार है। इस तनकी को साबित करने का भार अपीलांट/प्रतिवादीगण पर था। उक्त तीनो तनकीयां एक दूसरे पर आधारित है। वादी ने अपने वादपत्र मे की चरण सं. 4 मे यह कथन किया है कि पैरा नं. 4 ''यह कि उक्त भूमि जिसका वर्णन अर्जीदावा की मद सं. 3 मे किया गया है, का वाद फौत बेगाराम वादी अकेला खातेदार काश्तकार हुआ तथा बैगाराम ने वादी की सेवा चाकरी से खुश होकर अपनी उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 04.12.90 को वादी के पक्ष मे कर दी तथा जिसका पंजीयन दिनांक 17.12.90 को उपपंजीयक रावतसर के यहां करवाई गई तथा इस प्रकार वादी उक्त भूमि का वसीयत दिनांक 04.12.90 के आधार पर खातेदार काश्तकार है। यानि वादी ने अपने वाद पत्र मे स्वयं को बैगाराम का खोलायत पुत्र होना बताते हुए वसीयत दिनांक 04.12.90 के आधार पर खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा था। वादी द्वारा खोलानामा के आधार पर कोई घोषणा नही चाही थी परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वाद मे अनुतोष चाहे बिना ही खोलायत पुत्र की घोषणा की है। जबकि खोलायत की वैधता जांचने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है व ना ही वादी/रेस्पो0 द्वारा खोलानामा के आधार पर कोई घोषणा चाही गई। वादी द्वारा विचारण न्यायालय मे वसीयत दिनांक 04.12.90 प्रदर्श 11 व 11 ए पेश हुई है उक्त वसीयत मे स्व. बैगाराम की सम्पूर्ण भूमि की वसीयत नही की गई है परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य को अनदेखा करके सम्पूर्ण भूमि का खातेदार रेस्पो0 को घोषित किया है। अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 04.12.90 को रेस्पो0/वादी फर्जी व कूटरचित होना

बताया और विचारण न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयत को संदेहप्रद इन आधारो पर माना है कि वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे करवाई गई वसीयत रजिस्टर्ड व अपीलांट के पक्ष मे की गई वसीयत नोटेरी से प्रमाणित है, वसीयत को हनुमानगढ़ मे नोटेरी से प्रमाणित किया गया है, मृतक बैगाराम ने अपने उत्तराधिकारी को हक से क्यों वंचित किया कोई कारण अंकित नही है। वसीयत लेखक के फौजदारी प्रकरण के 164 सीआरपीसी के ब्यानो को आधार माना है। वसीयत धारा 63 साक्ष्य अधिनियम के तहत सिद्ध नही है। वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा साबित नही किया है।

5. स्व. बैगाराम ने अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 04.12.98 को वसीयत तहरीर की थी। उक्त वसीयत रावतसर मे लिखी गई व नोटेरी से हनुमानगढ़ मे उसी दिन प्रमाणित करवाई गई थी वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नही है। वसीयत सादे कागज पर भी तहरीर की जा सकती है। जिसके संबंध मे आरएलडब्ल्यू 2007 पेज 59, आरआरटी 2008 पेज 1284, आरआरटी 2011–12 पेज 617, आरबीजे 1998 पेज 438, डीएनजे 2012 पेज 546 न्यायिक दृष्टांत चस्पा होते है। अपीलांट के पक्ष मे की गई वसीयत स्व. बैगाराम की अन्तिम वसीयत है जिसे अपीलांट ने विचारण न्यायालय मे अपनी दस्तावेजी साक्ष्य वसीयत दिनांक 04.12.98 प्रदर्श डी एस व जांच रिपोर्ट फिंगर प्रिंट ब्यूरो राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.03 प्रदर्श डी 6 जिसमे यह स्पष्ट अंकित है कि प्रदर्श डीएस पर लगे अंगूठे स्व. बैगाराम के है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय मे वसीयत के अनुसार गवाह हजारीराम पुत्र सहीराम एवं वासूदेव पुत्र बीरबल व नोटेरी पब्लिक देवराज ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे इस तथ्य को साबित किया है कि स्व. बैगाराम के कहे अनुसार वसीयत तहरीर की थी। जिसे सुन समझ कर बैगाराम ने अपने हस्ताक्षर अंगूठा किये थे व हमने भी अपने हस्ताक्षर/अंगूठा किये थे। नोटेरी ने यह स्पष्ट कथन किया है कि बैगाराम व वासूदेव वसीयत लेकर मेरे पास आये थे। जिसे मैने पढकर बैगाराम को सुनाया व उसके पश्चात वसीयत तस्दीक की थी। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2000 पेज 312, डीएनजे 1995 पेज 402, डीएनजे 2008 पेज 73 के अनुसार यदि वसीयत के अनुप्रमाणिक गवाह साक्ष्य मे उपस्थित होकर यह कथन करता है कि उसके समक्ष वसीयत तहरीर की गई थी व मेरे बतौर गवाह हस्ताक्षर किये व वसीयतकर्ता ने भी हस्ताक्षर किये थे तो धारा 63 सी के तहत वसीयत साबित मानी जावेगी। यदि वसीयत के अनुप्रमाणिक गवाह मे से एक व्यक्ति भी उपस्थित होकर वसीयत करना व हस्ताक्षर करना साबित करता है तो वसीयत साबित मानी जावेगी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 63 व साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 वसीयतकर्ता द्वारा किसी प्राकृतिक वारीस को अधिकारो से वंचित करने के आधार पर वसीयत को संदेहास्पद नही माना जा सकता। यदि वसीयत सादा कागज पर तहरीर की

गई है व एक गवाह द्वारा भी निष्पादन स्वीकार किया गया है तो वसीयत साबित मानी जावेगी।

6. अपीलांट के काउंटर क्लेम के जवाब मे रेस्पो0 वादी ने अपीलांट के पक्ष मे की गई वसीयत को फर्जी व कूटरचित होना बताया। उक्त आपत्ति के आधार पर वादी/रेस्पो0 को यह साबित करना होगा कि वसीयत किस आधार पर फर्जी है परन्तु वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो की अपीलांट के पक्ष मे की गई वसीयत फर्जी व कूट रचित हो। डीएनजे 2005 पेज 73 मे उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 63 व साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार वसीयत साबित करने भार पूर्व वसीयत को निरस्त करके नई वसीयत करने पर यदि वाद की वसीयत को फर्जी व कूटरचित करने का आरोप लगाया जाता है तो इस तथ्य को साबित करने का भार उक्त आरोप लगाने वाले पर होगा। रेस्पो वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो कि वसीयत दिनांक 04.12.98 फर्जी व कूटरचित है। मौखिक साक्ष्य वादी गवाह वसीयत हजारीराम, वासूदेव व नोटेरी एवं फोरेन्सीक जांच रिपोर्ट से यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि वसीयत स्व. बैगाराम द्वारा स्वेच्छा से निष्पादित की गई थी।इस लिये वसीयत साक्ष्य अधिनियम के तहत पूर्णतया साबित है। इस प्रकार तनकी सं. 1 व 4 रेस्पो0 सं. 1 के विरूद्ध है वादी ने उक्त तनकी किसी प्रकार साबित नही किया है। इसी तरह तनकी सं. 2 ता 3 स्वतः ही वादी के विरूद्ध साबित है। जहां तक वादग्रस्त भूमि के कब्जा का संबंध है। जिसमे न्यायालय द्वारा अपील अनवानी साबहराम बनाम गौरूराम अपील सं. 34/2004 व 36/2004 मे दिनांक 02.04.05 को निर्णय पारित करके रेस्पो0 वादीगण को 500 रू प्रतिबीघा की नगद प्रतिभूति पर दी गई है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2008(2) पेज 1284, आरआरटी 2011–12 पेज 617, आरबीजे 1998 पेज 438, डीएनजे 2012 पेज 546, आरबीजे 2000 पेज 312, डीएनजे 1995(2) पेज 402, डीएनजे 2008 (1) पेज 73, एसीजे 2012(2) एससी पेज 172, डीएनजे 2006 पेज 11, आरएलडब्ल्यू 2007(1) पेज 59, आरआरडी 1992 पेज 642, आरआरडी 1991 पेज 234, आरआरटी 2015(2) पेज 1019, डीएनजे 2005 पेज 73 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट को बतौर वसीयती उत्तराधिकारी स्व. बैगाराम वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। व वादग्रस्त भूमि का कब्जा एवं जमाशुदा नगद प्रतिभूति अपीलांट को दिलाई जावें।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी लिखित बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया कि स्व. बेगाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी खोडा था जिसकी पत्नि का नाम हुकमा था जिसके कोई औलाद नही थी इस

कारण दिनांक 16.10.63 को वादी गौरूराम को गोद ले लिया व बाद मे दिनांक 25.08.83 को खोलानामा उपपंजीयक नोहर मे पंजीकृत करवा दिया एवं दिनांक 04.12.90 को स्व. बेगाराम ने सम्पूर्ण भूमि की वसीयत भी गौरूराम के पक्ष मे तहरीर करने का कथन किया। वादी ने वाद मे गौरूराम के नाम की भूमि चक 1 डीडी मे 6.200 है0 व चक 3 सीएलडी मे 14.14 बीघा व चक 1 केएचडी मे 1.771 है0 व चक 109 आरडी मे 4.984 है0 भूमि का स्वयं बतौर दत्तक पुत्र व वसीयत दिनांक 04.12.90 के आधार पर खातेदार घोषित करने का अनुतोष व अपीलांट/प्रतिवादी के पक्ष मे स्व. बेगाराम द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 04.12.98 को शून्य व प्रभावहीन होने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय मे अपीलांटस/प्रतिवादीगण सं. 1ता 4 ने अपना जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर गोदनामा को फर्जी व कूटरचित होने का कथन करते हुए रेस्पो0 सं. 1/वादी को बेगाराम का खोलायत पुत्र होने से ईन्कार किया एवं प्रश्नगत भूमि की समस्त चल अचल सम्पति का दिनांक 04.12.98 को उनके पक्ष मे वसीयत किये जाने का कथन किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के हक मे अन्तिम वसीयत होने से पक्षकारो पर प्रभावकारी एवं बाध्यकारी होने का कथन किया एवं प्रश्नगत भूमि बेगाराम के फौत होने पर उनके कब्जे मे होना भी कथित किया। वसीयत के संबंध मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी विचारण न्यायालय को नही होने का कथन करते हुए धारा 15एएए का किसी प्रकार कोई निर्णय पारित होने संबंधित अनभिज्ञता जाहिर की एवं उसका वसीयत दिनांक 04.12.98 पर कोई प्रभाव नही होना कहा।

8. रेस्पो/वादी ने अपीलांट/प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा मे अंकित कथनो से इन्कारी करते हुए प्रस्तुत खोलानामा एवं वसीयत रजिस्ट्रार से पंजीबद्ध होने एवं वसीयत 04.12.98 कतई फर्जी एवं कूटरचित होने का कथन करते हुए यह आधार लिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत हनुमानगढ़ जाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक है जबकि गांव खोडा की तहसील रावतसर लगती है एवं रावतसर मे 10–15 वसीमानवीस है एवं नोटेरी पब्लिक भी है। खोडा से हनुमानगढ़ जाने का रास्ता भी रावतसर होते हुए ही है अन्य कोई रास्त नही है तो हनुमानगढ़ वसीयत तहरीर करना संदेहास्पद है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे कुल 8 विवाधक कायम किये विवाधक सं. 1 आया वादी चक 1 केडीडी, 3 सीएलडी, 1 केएचडी व 109 आरडी की कुल 67.08 बीघा का खातेदार काश्तकार है जिसका सिद्ध भार रेस्पो0 सं. 1 वादी पर था जबकि विवाधक सं. 4 यह था कि आया वसीयत दिनांक 04.12.98 बहक प्रतिवादी सं. 1ता4 फर्जी व शून्य एवं वादी हकूको के खिलाफ प्रभावहीन है जिसका सिद्ध भार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 अपीलांट पर था। वादी/रेस्पो0 सं. 1 की ओर से अपने वाद को सिद्ध करने हेतु नकल खोलानामा लिखापढी बही दिनांक 16.10.1963 व खोलानामा दिनांक 25.06.1983 व वसीयत दिनांक 04.12.90 पंजीबद्ध उपपंजीयक नोहर एवं मौखिक साक्ष्य मे 9 गवाहान के ब्यान करवाये गये।

9. विचारण न्यायालय के समक्ष खोलानामा बेगाराम प्रदर्श 2 प्रस्तुत किया गया है जो उपपंजीयक नोहर द्वारा पंजीबद्ध है जिसमे स्व. बेगाराम द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया है कि उसके द्वारा 20 वर्ष पूर्व अपने हकीकी छोटे भाई के पुत्र गौरूराम को उसकी 15 वर्ष की आयु मे खोले ले लिया था रस्म का भी जिक्र किया गया है। उक्त खोलानामा बेगाराम द्वारा हस्ताक्षरित है। वसीयत मे गौरूराम को खोलायत पुत्र होना अंकित किया है। निर्णय 15एएए उपखण्डाधिकारी दिनांक 05.11.88 मे भी जो खातेदारी दी गई है उसमे बेगाराम का खोलायत पुत्र गोरूराम को माना गया है जो निर्णय अन्तिम है। इसके अतिरिक्त रसीद रकम प्रदर्श 12ए से 19 ए एवं पानी पर्ची 20 ए से 21 ए प्रस्तुत की गई है। जहां तक अपीलांट के हक मे दिनांक 04.12.98 की तथाकथित नोटेरी से अनुप्रमाणित वसीयत जो अपीलांट बाद की वसीयत बतलाता है वह कतई फर्जी एवं कूटरचित होना सिद्ध होती है। क्योंकि अपीलांट के हक मे तथाकथित वसीयत दिनांक 04.12.98 हनुमानगढ़ लिखवाई गई है जबकि ग्राम खोडा की तहसील रावतसर है वसीयत किसके द्वारा लिखी गई सिद्ध नही करवाया गया। बेगाराम पढालिखा व्यक्ति था वह हस्ताक्षर करता था परन्तु तथाकथित वसीयत पर अंगूठा लगा हुआ है। रावतसर उपपंजीयक कार्यालय है एवं वहां नोटेरी भी है एवं गांव खोडा के नजदीक है। परन्तु समस्त कार्यवाही अपीलांट द्वारा हनुमानगढ़ करवाई गई है तथाकथित वसीयत दिनांक 04.12.98 किसी साक्ष्य से सिद्ध नही की गई बल्कि विचारण न्यायालय की पत्रावली मे 164 सीआरपीसी के ब्यानो मे मनफूलसिंह पुत्र किशनसिंह यह कहता है कि मै इसी वर्ष 2001 मे अपने घर रावतसर मे था तो मेरे पास रामजीलाल एवं हजारी निवासी खोडा आये उनके पास एक सफेद कागज था जिस पर ... रू0 की टिकट लगा हुआ था उन दोनो ने मुझे कहा कि वसीयत लिख दो हमारा घरेलू मामला है वसीयत लिखने के पश्चात इस पर तारीख दिसम्बर 1998 की डाल दो तो मैने कहा तारीख तो आज की लिखूगां तो उन्होने अपना घरेलू मामला कहने पर मैने उस पर तारीख लिखी थी वसीयत के समय बेगाराम वगैरा के हाजिर नही होना भी यह गवाह कहता है।

10. उक्त ब्यानो से यह कतई स्पष्ट है कि वसीयत दिनांक 04.12.1998 बेगाराम के फौत होने के बाद तैयार की गई है जो कतई सदिग्ध है जिसे किसी भी गवाह द्वारा साबित नही किया गया है। इसके अतिरिक्त रामजीलाल पुत्र हरलाल ने आवेदन पत्र दिनांक 08.06.01 को एडीएम नोहर के स्वयं ने पेश किया है जिसमे भी उसने कहा कि कोई वसीयत बेगाराम ने नही की। वसीयत अन्य स्थान पर लिखी गई ऐसे संदेहास्पद वसीयत को सीापित करने के लिए स्आम्प वेण्डर, डीड राईटर, वसीयत मे उपस्थित गवाहान के ब्यान आवश्यक है। अगर जहां वसीयत की प्रमाणिकता संदेहास्पद है वहां सन्देहास्पद परिस्थितियों को स्पष्ट करने का सिद्ध भार प्रस्तुतकर्ता पर है। अपीलांट/प्रतिवादी ने

विचारण न्यायालय मे उनके द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत दिनांक 04.12.98 को सिद्ध नही किया है जबकि रेस्पो0 सं. 1 वादी के हक मे निष्पादित खोलानामा एवं वसीयत दोनो सब रजिस्ट्रार के यहां से रजिस्टर्ड विधिवत दस्तावेज है एवं जिन्हे उनके द्वारा गवाहान पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 9 तक न्यायालय मे उपस्थित आकर सशपथ पत्र कथन कर सिद्ध भी किया है। इस कारण तनकी सं. 1 का निर्णय बही वादी/रेस्पो0 सं. 1 सही निर्णित हुआ है एवं तनकी सं. 4 का निर्णय खिलाफ प्रतिवादी/अपीलांट सही निर्णित हुआ है। अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1998 पेज 27 हाईकोर्ट, एआईआर 1995 एसी पेज 346, आरआरडी 1989 पेज 168 डीबी, आरआरटी (1) 469, आरआरटी 2011 पेज 592 एससी, आरबीजे 19987 पेज 275, आरबीजे 2006 पेज 148 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

11. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो स्व. बैगाराम पुत्र भेरूराम के नाम दर्ज थी जो लाऔलाद फौत हुआ। बेगाराम ने अपनी पत्नि से सहमति से 16.10.63 को अपने भाई के पुत्र गोरूराम को खोले ले लिया गया था उक्त खोलानामा पंजीकृत दस्तावेज है। इस प्रकार गोरूराम बेगाराम का खोलायत पुत्र हुआ और बेगाराम की कुल भूमि का इकलौता वारिस हुआ। खोलानामा के बाद बेगाराम ने रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे दिनांक 04.12.90 वसीयत की जिसका पंजीयन दिनांक 17.12.90 को करवाया गया। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा वसीयत के आधार बेगाराम के नाम दर्ज भूमि की घोषणा अपने नाम करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे अपीलांट द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर प्रश्नगत वसीयत दिनांक 04.12.90 को फर्जी व कूटरचित होना बताते हुए अपने को वसीयत दिनांक 04.12.98 के आधार पर बेगाराम की चल अचल सम्पति का वसीयती उत्तराधिकारी होना व्यक्त करते हुए कांउटर के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे दावा एवं जवाबदावा मय प्रतिदावा के आधार पर 8 विवाधक विरचित की है। जिसमे तनकी सं. 1 ता 4 का सिद्ध भार वादी पर था तथा तनकी सं. 5 ता 8 का सिद्ध भार प्रतिवादी/अपीलांट पर था। तनकी सं. 4 मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष मे करवाई गई वसीयत दिनांक 04.12.98 सन्देहास्पद होना मानते हुए वादी हकूको के खिलाफ प्रभावहीन होना माना है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के सिद्ध होने अथवा सिद्ध नही होने के संबंध मे कोई विवेचन नही किया गया है।

12. प्रकरण मे अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 04.12.98 नोटेरी प्रमाणित है तथा रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 04.12.90 जो दिनांक 17.12.90 की पंजीकृत की गई है तथा खोलानामा दिनांक 16.10.63 जो पंजीकृत दस्तावेज है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 04.12.98 जो नोटेरी से प्रमाणित है, मे स्व. बैगाराम द्वारा अंगूठा निशानी अंकित है की गई वह स्व. बेगाराम की है यह फिंगर प्रिंट ब्यूरो राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट से साबित है। परन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न 164 सीआरपीसी के ब्यानो मे मनफूलसिंह पुत्र किशनसिंह के हके अनुसार ''मै. इसी वर्ष 2001 मे अपने घर रावतसर मे था तो मेरे पास रामजीलाल व हजारी निवासी खोडा आये उनके पास एक सफेद कागज था जिस पर टिकट लगा हुआ था उन दोनो ने मुझे वसीयत लिखने को कहां और वसीयत लिखने के पश्चात इस पर तारीख दिसम्बर 1998 की डालने को कहा तो मैने कहा तारीख तो आज की लिखूगां तो उन्होने अपना घरेलू मामला कहने पर मैने उस पर तारीख लिखी थी वसीयत के समय बैगाराम वगैरा के हाजिर नही होना भी गवाह कहता है।'' अंकित किया गया है। इस प्रकार वसीयत दिनांक 04.12.1998 जो बेगाराम के फौत होने के बाद सन् 2001 मे तैयार होना गवाह से साबित होता है तथा उक्त संदेहास्पद वसीयत दिनांक 04.12.98 फर्जी व कूटरचित होने के संबंध मे अपराधिक प्रकरण भी विचाराधीन है जिसमे वसीयत सिद्ध होने अथवा नही होने संबंधी कार्यवाही जैरकार है।

13. उपरोक्त परिस्थितियों मे प्रश्नगत वसीयत के सिद्ध होने अथवा नही होने के संबंध मे अपराधिक प्रकरण को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन वाद मे कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

1. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए बाद की वसीयत के सिद्ध होने अथवा नही होने के संबंध मे निष्कर्ष करते हुए वसीयत के संबंध मे विचाराधीन अपराधिक प्रकरण मे हो रही कार्यवाही/निर्णय को मध्यनजर रखते हुए विरचित तनकीयात के संबंध मे विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.04.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 158/2015/223 आर टी ए

मन्दरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. नूरनिशा पत्नि स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
2. जुल्फकार पुत्र स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
3. शकुरा पुत्री स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
4. गुरमेलसिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
5. इन्द्रसिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
6. कौर सिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
7. गुरनाम सिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
8. जरनैल कौर पुत्री आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
9. छिन्द्र कौर पुत्री आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
10. किरणजीत कौर उर्फ रानी पुत्री नरसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
11. केवल सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
12. रणधीर सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 09.10.2014 व डिक्री दिनांक 17.10.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 251/2013 अनवानी नूरनिशा बनाम सरकार

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री नरेश पारीक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3, श्री कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 ता 12 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 13 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय

व डिक्री दिनांक 09.10.2014 मे अंकित भूमि मे से बैयनामा दिनांक 02.08.1976 मे वर्णित भूमि प.न. 78/274 कि.न. 24 व प.न. 78/275 कि.न. 4 कुल 2.00 बीघा कम की जाकर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 ता 12 उक्त 2.00 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2014 यथावत रखा रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.10.2017 को जारी की गई।